

तारीख
हुकम

28-06-24

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित
पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज व नहरसीलदार
इन्फार्म द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से
स्पष्ट है कि प्राधिकरण राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान
में खातेदार दर्ज नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में
धाही गई कृषि भूमि ख.सं 316, 317, 318,
320, 321 व उनके ग्राम मुई में RAB कोटा के
मिर्जाप दिनांक 21/3/2001 से नहरसीलदार इन्फार्म
का रिसीवर नियुक्त किया गया है। नहरसीलदार
इन्फार्म की रिपोर्ट अनुसार ख.सं 326 में रास्ता
दिखा जाना अनुचित अमान्य करवाया गया है -
प्राधिकरण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना
अचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्राधिकरण
का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फंसल सुमार होकर प्रकरण दर्ज
नम्बर से कम होकर बाद पूर्ण दारिद्र्य
दफ्तर ही

उपखण्ड अधिकारी
बाबरी (कृषि)